

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 265 / 2025

नरसिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कौशल नियोजन, उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
3. जिला रोजगार, जिला रोजगार अधिकारी, बाडमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025

आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री हिम्मत सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय जिला रोजगार कार्यालय, बाडमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला रोजगार कार्यालय, टोंक में किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी अल्पवेतनभोगी कार्मिक है। अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 किमी दूर किया गया है। जबकि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान के निकटस्थ स्थान पर भी पद रिक्त थे इसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण दूरस्थ स्थान पर किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कार्मिक है, जिसका स्थानांतरण 600 किमी दूर किया गया है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-3) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)